निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 63/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. छीतर
2. उदा

पुत्रान नारायण जाति जाट निवासीयान नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. खाजू खां पुत्र बैली खां
2. चांद खां पुत्र सवाई खां
3. कालू खां पुत्र अजीज खां
4. सत्तार खां पुत्र बोदू खां
5. इमाम बक्श
6. लाला खां
7. सत्तार खां
8. इस्लाम खां

   पुत्रान सुलेमान खां
9. युसुफ खां
10. मुन्ना

    पुत्रान सुवान खां
11. मोहम्मद आमीन
12. हकीम खां

    पुत्रान सवाई उर्फ सुवा खां
13. बाबू खा
14. हमीद खां
15. छोटू खां

    पुत्रान बैली खां
16. पप्पू
17. ईदा

    पुत्रान अजीम खां
18. सफीना बेवा अजीम खां
19. काली पुत्री मोती खां
20. मजीद खां
21. अजीज खां

    पुत्रान शकूर खां
22. शकूरी बेवा शकूर खां

समस्त जाति मुसलमान, निवसीयान नोल्या, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

जिला कलक्टर
जयपुर

23. तहसीलदार दूदू जिला जयपुर ।

24. शाखा प्रबन्धक एस बी आई बैंक शाखा दूदू।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष विचाराधीन मुकदमा नम्बर 81/2018 (127/2015) ब उनवानी खाजू खां व अन्य बनाम तहसीलदार दूदू व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने ।

उपस्थितः–

1. श्री गोपाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री एस॰ जे॰ गिरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 14.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायायल उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष प्रकरण संख्या 81/2018 (127/2015) ब उनवानी खाजू खां व अन्य बनाम तहसीलदार दूदू व अन्य विचाराधीन था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने वाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 26.07.2017 के द्वारा अपने समक्ष विचाराधीन उक्त मामले को खारिज कर दिया जिसके विरूद्व अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपील निर्णय दिनांक 4.9.2018 को स्वीकार कर ली गई व मामला कतिपय दिशा–निर्देशों के साथ पुनः निर्णित किये जाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष सम्प्रेषित कर दिया गया जो वहां पुनः प्राप्त होने पर उसे दिनांक 18.10.2018 को प्रकरण संख्या 81/2018 ब उनवानी खाजू खां बनाम तहसीलदार दूदू व अन्य के रूप में दर्ज किया गया । जिसे दर्ज किये 20 माह से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है परन्तु अभी तक मामला उसी प्रकम पर जिस प्रकम पर यह दर्ज किया गया था पर लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर ए एस अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2018 की जानबूझ कर अवहेलना कर अपने समक्ष लम्बित मामले के निस्तारण में विलम्ब कर रहे है तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी संख्या 1 ता 22, मिन प्रार्थीगण को एलानिया यह धमकी दे रहे है कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर ए एस से बात कर ली है तथा उन्होंने आश्वास्त कर दिया है कि वे अपने कार्यकाल में अपने समक्ष लम्बित मामले का निस्तारण नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में मिन प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है ऐसा कथन अंकित उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तररित किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी दूदू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।,अप्रार्थीगण संख्या 11, 12 की ओर से वकील श्री एस जे गिरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष प्रकरण 18.10.2018 को पुनः दर्ज किया गया है। जिसे दर्ज किये 20 माह से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु अभी तक मामला उसी प्रक्रम पर लम्बित है जिस प्रक्रम पर यह दर्ज किया गया था। पीठासीन अधिकारी जानबूझ कर निस्तारण मे विलम्ब कर रहे है। अप्रार्थीगण धमकी दे रहे है कि पीठासीन अधिकारी ने आश्वस्त कर दिया है कि वे अपने कार्यकाल में अपने समक्ष लम्बित उक्त मामले का निस्तारण नही करेगे। जबकि अप्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की आदेशिकाओ की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार दिनांक 28.08.2020 को पत्रावली मे बहस सुनी जा चुकी है और आदेश हेतु दिनांक 07.09.2020 की तारीख दी गई है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनने के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 27.08.2020 को यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिससे प्रार्थी के आरोपो को बल नही मिलता है। बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं प्रकरण के निस्तारण किये जाने मे विलम्ब कराना चाहता है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत है। पीठासीन अधिकारी पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मे लगाये गये आरोपो की पुष्टि नही होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. उपखण्ड अधिकारी दूदू उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ इस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

14/12/2020

(अन्सर सिंह मेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर